मंगेज सिंह – रणजीत सिंह आदि कु० : 16/19

क	आज्ञा पत्र	
...25	पत्रावली पेश। वकील अपीलार्थी वकील रेस्पो. को बहस हेतु समय चाहा। न्यायहित में अवसर दिया गया। वास्ते बहस दिनांक 20.2.25 को पेश हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
20.2.25	पत्रावली पेश। वकील उभयपक्ष हाजिर। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 27/2/25 को पेश हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते ★ सीकर ★
27/2/25	पत्रावली पेश। पीठासीन अधिकारी के व्यस्त होने से आदेश नहीं लिखवाये जा सके। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 28/2/25 को पेश हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
28/2/25	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 16/2019

1 मंगेज सिंह पुत्र सतीदानसिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी पांवडा की उर्फ तंवरान तन ग्राम सौथलिया तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 रणजीत सिंह पुत्र सतीदान सिंह
2 हरिसिंह पुत्र सतीदान सिंह
3 भेरूसिंह पुत्र सतीदान सिंह
4 प्रहलाद सिंह पुत्र सतीदान सिंह
5 प्रेमसिंह पुत्र श्री प्रहलाद सिंह
समस्त जाति राजपूत निवासी ढाणी पांवड़ा की उर्फ तंवरान तन ग्राम सौथलिया तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.।
6 भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला जिला सीकर।
7 मैनेजर पंजाब नैशनल बैंक शाखा बावडी जिला सीकर।
8 मैनेजर भारतीय स्टेट बैंक शाखा रींगस जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 16.05.2018 न्यायालय
सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक खण्डेला उनवानी प्रकरण
रणजीतसिंह बनाम हरिसिंह आदि दावा संख्या 96/2015
अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री विनोद कुमार सरोज, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री रफीक मोहम्मद कुरैशी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री बजरंग सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 28/2/25

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर खण्डेला द्वारा मुकदमा नम्बर 96/2015 में पारित निर्णय दिनांक 16.05.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने एक वाद घोषणा, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 471, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 487, 488, 489 वाके ग्राम सौंथलिया का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से विभाजन प्रस्ताव के आधार पर वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि उक्त प्रकरण में दिनांक 28.05.2018 को उक्त पत्रावली तहसीलदार खण्डेला के विभाजन प्रस्ताव हेतु नियत थी। उक्त पत्रावली में बाला बाला शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र दिनांक 16.05.2018 को प्रस्तुत किया जाकर उसी दिन विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत कर अपीलान्ट के अनुपस्थिति में ही तथा बिना सहमति के उक्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर उक्त अंतिम डिक्री पारित कर दी गई। अपीलान्ट के असहमत होने के बावजूद वकील प्रतिवादी द्वारा अनापत्ति जाहिर करना अंकित कर दिया गया। अपीलान्ट के अधिवक्ता के इस बाबत किसी भी प्रकार के कोई हस्ताक्षर नहीं करवाये गये। प्रतिवादी शेष के अधिवक्ता की उपस्थिति दर्शाकर उक्त निर्णय पारित किया गया है। इस कारण उक्त निर्णय निरस्तनीय है। अपीलान्ट द्वारा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन सीकर

उक्त वाद पत्र के जवाब में केवल मात्र रास्ते के बारे में ही राजीनामा प्रस्तुत किया गया था। कब्जा काश्त व वादी द्वारा अंकित खसरा नम्बर के आधार पर बंटवारा किये जाने बाबत किसी भी प्रकार का कोई राजीनामा नहीं किये जाने के बावजूद विचारण न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण वाद पत्र में अपीलान्ट द्वारा राजीनामा किया हुआ मानते हुए उक्त निर्णय पारित कर दिया गया। इस कारण उक्त निर्णय व डिक्री निरस्तनीय है। विभाजन प्रस्ताव में गलत रूप से विभाजन कर दिया गया। अपीलान्ट के कब्जे काश्त की भूमि के कुछ हिस्से को किसी अन्य को दे दिया गया तथा अपीलान्ट को किसी तीसरे के कब्जे काश्त की भूमि में हिस्सा अंकित कर दिया गया इस कारण उक्त प्रस्ताव के आधार पर काबिज होना संभव ही नहीं है। उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाते समय उक्त महत्वपूर्ण तथ्य पर गौर नही कर केवल मात्र कागजी विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दिया गया। उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार काबिज होना संभव ही नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति लिये बिना ही उसी दिन अंतिम डिक्री पारित कर दी गई। इस कारण उक्त निर्णय व डिक्री निरस्तनीय है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव आने के पश्चात पक्षकारों को उसकी जानकारी दिये बिना ही मनमाने रूप से सहमत होने का कथन पत्रावली में अंकित कर उक्त निर्णय पारित दिया गया। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 23.06.2016 को वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 मय अधिवक्ता उपस्थित हुए और राजीनामा पेश किय। दिनांक 23.08.2016 को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा राजीनामा तस्दीक किया गया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 13.10.2017 पारित कर प्रतिवादी संख्या 6 व 8 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। विचारण न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 13.10.2017 पारित फरमाई गई। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पक्षकारान की आपसी सहमति से पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 16.05.2018 के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विरूद्ध अपीलान्ट की ओर से हस्तगत अपील माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 06.02.2019 को पेश की गई है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 16.05.2018 को पारित फरमाई गई थी और अपीलान्ट ने हस्तगत अपील दिनांक 06.02.2019 को माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है जो उक्त निर्णय पारित करने में लगभग 8–9 माह पश्चात प्रस्तुत की है जो असाधारण रूप से अवधि बाधित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अपीलान्ट ने हस्तगत अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुतिकरण में हुआ विलम्ब क्षम्य किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार करने का निवेदन किया है परन्तु उक्त प्रार्थना पत्र में विलम्ब का कोई संतोषप्रद कारण दर्ज नहीं किया है। अपीलान्ट स्वयं विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 2 के रूप में पक्षकार संयोजित रहा है तथा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की ओर से राजीनामा पेश किया गया है। उक्त राजीनामा पर स्वयं प्रतिवादी संख्या 2(अपीलान्ट) ने हस्ताक्षर/अंगुठा निशानी मौजुद है तथा प्रतिवादी संख्या 2(अपीलांट) की पहचान उसके अधिवक्ता ने की है। उक्त राजीनामा के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया है। राजीनामा के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री 13.10.2017 एवं अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 16.05.2019 पारित की गई है। इस प्रकार अपीलान्ट को प्रारम्भ से उक्त निर्णय व डिक्री भलीभांति जानकारी रही है। उक्त वर्णित वास्वविक तथ्यों की रोशनी में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र में विलम्ब के संबंध में दर्ज कारण कतई गलत है। अपीलान्ट ने विलम्ब का कोई संतोषप्रद कारण दर्ज नहीं किया है। इस कारण अपीलान्ट को धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता। यह स्वीकृत स्थिति है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पालना में राजस्व अभिलेखों में विभाजन किया जा चुका है तथा विभाजन अनुसार पृथक–पृथक खाते, नक्शे व लगान कायम किये जा चुके है। ऐसी स्थिति में अपील असाधारण रूप से मियाद बाहर होने के साथ–साथ सारहीन व बलहीन होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है। अपीलान्ट ने कुरेजात रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं की है। अपीलान्ट ने प्राथमिक निर्णय व डिक्री को कोई चुनौती नहीं दी है। केवल और केवल

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

अंतिम निर्णय व डिक्री को चुनौती दी है। पक्षकारान की आपसी सहमति व राजीनामा के आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। सुस्थापित विधि के तहत राजीनामा के आधार पर पारित निर्णय व डिक्री को चुनौती देने का कोई अधिकार अपीलान्ट को प्राप्त नहीं है। अपीलान्ट अपने अधिवक्ता द्वारा दी गई सहमति से बाध्य है। अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा दी गई सहमति अपीलान्ट स्वयं की मानी जाने की विधिक एवं न्यायिक मंशा है। राजीनामा पर स्वयं अपीलान्ट के हस्ताक्षर/अगुंठा निशानी है। राजीनामा के आधार पर अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा दी गई सहमति अपीलान्ट पर बाध्यकारी है। विभाजन प्रस्ताव के विरूद्ध अपीलान्ट ने कोई आपत्तियां पेश नहीं की थी। अब इस स्तर पर विभाजन प्रस्ताव पर आपत्तियां करने का कोई विधिक अधिकार अपीलान्ट को प्राप्त नहीं है। अपील खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में एआईआर 2005 एससी पेज 3460, आरबीजे 2000 पेज 402, आरआरडी 1997 पेज 349, आरबीजे 2007 एससी पेज 438, एआईआर 1999 राज (एचसी) पेज 84, आरआरटी 2004(1) पेज 576 एचसी, आरबीजे 2001 रेव पेज 432, आरबीजे 2005 रेव पेज 132 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट द्वारा कथित राजीनामें का अवलोकन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत राजीनामा केवल मात्र रास्ते के संदर्भ में किया गया है विभाजन के संदर्भ में कोई राजीनामा प्रस्तुत नहीं किया गया है। विभाजन की प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व अपीलांट को सूचित किया हो इसका कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। ऐसी स्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय अपीलांट के द्वारा हस्ताक्षर करने से इन्कार करने का तथ्य स्वीकार योग्य नहीं है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

यहां यह भी विचारणीय है कि प्रकरण में दिनांक 28.05.2018 को उक्त पत्रावली तहसीलदार खण्डेला के विभाजन प्रस्ताव हेतु नियत थी। उक्त पत्रावली में बाला बाला शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र दिनांक 16.05.2018 को प्रस्तुत किया जाकर उसी दिन विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत कर अपीलान्ट के अनुपस्थिति में ही तथा बिना सहमति के उक्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर उक्त अंतिम डिक्री पारित कर दी गई। अपीलान्ट के असहमत होने के बावजूद वकील प्रतिवादी द्वारा अनापत्ति जाहिर करना अंकित कर दिया गया। अपीलान्ट के अधिवक्ता के इस बाबत किसी भी प्रकार के कोई हस्ताक्षर नहीं करवाये गये। प्रतिवादी शेष के अधिवक्ता की उपस्थिति दर्शाकर उक्त निर्णय पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधिक प्रकिया की पालना किये बिना पारित किया गया है। फलतः विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

प्रस्तुत प्रकरण में जहां तक पारिवारिक समझौते का प्रश्न है यह पारिवारिक समझौता पंजीकृत नहीं है। ऐसी स्थिति में इस समझौता पत्र को साक्ष्य में बाध्यकारी नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष की उपस्थिति में तहसीलदार से पुनः विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर आपत्ति का अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.03.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 24/2/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार बी.)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर